

अंज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

24/1/2024/285

वार 4/1 चतु

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

4A-8

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
जारी हुए

तारीख

2024/241

पेशी

श्री छिन्नेश शर्मा 46/4

श्री

P.P. सिंह राजावत 144

7/7/25

पत्रावली पेश की गई। अतिरिक्त उक्त उपस्थित।
अतिरिक्त अपीलों के निवेदन किया कि उक्त
अपील में पेशाब के महय आपसी समझौते
से राजीनामा ही गया है। इस कारण अपीलों
जरा उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहते हैं।
ही अपील में आगे कोई कार्यवाही चाहते हैं।
अतः आर्पण पर स्वीकार प्रमाण अपीलों उक्त
उक्त अपील को आगे नही चलाने जाने से अपील
को उमी स्तर पर जाँचे विद्वे दाखिल फलर फरमाये
जो के द्वारा आपस में प्रदान करावे। अपीलों का
2 स्वयं उपस्थित हुए एवं अतिरिक्त पर हस्ताक्षर किये।
जिसे पहचान उनके अतिरिक्त श्री छिन्नेश शर्मा एड
की।

अतः अपील अपीलों अतिरिक्त अपीलों एवं
अपीलों उक्त आगे नही चलाने जाने के कारण विद्वे
किये जाने से खारिज की जाती है पत्रावली फलर फरमाये
ही फलर फरमाये है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(Handwritten signature)
पेशाब की
अपील
श्री छिन्नेश शर्मा



न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

ब्यावर/अपील/टी.ए. संख्या241..... /2024

2024/241

811
श्री S.P. प्रोसा
अपील केस की जांच
जान्ये 21 को 15
का है
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
16/10/24

1. बाबू पुत्र श्री सुवा जाति रेगर
2. श्री भंवरलाल पुत्र सूवा जाति रेगर
3. श्री जयसिंह पुत्र श्री गोती सिंह जाति रावत
4. श्री बजरंग पुत्र श्री पांचू जाति खटीक

समस्त निवासीयान दाना जी की ढाणी खरवा तहसील मसूदा
जिला ब्यावर

अपीलांट्स

बनाम्

2024/241
16/10/24

1. श्री चेतन पुत्र पोखरमल जाति नायक निवासी गांव मोटयास
जिला भीलवाड़ा।
2. श्री छत्रेश कुमार पुत्र श्री काशीराम जाति ढोली
3. श्री रमेश पुत्र श्री छोदू जी जाति खटीक
समस्त निवासी गांव खरवा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
4. श्री नरेन्द्र पुत्र स्त. श्री बिशनसिंह जाति राजपूत निवासी
गांव देवगढ़ पो. खरवा तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड
अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर दिनांक 11.09.2024
प्रार्थना संख्या 98/2024 (2024/235)।

महोदय जी,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :-